आपदा प्रबंधन में होमगार्ड एवं स्वयं सेवकों की भूमिका

डॉ रचना श्रीवास्तव
विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र, जी.डी.सी कॉलेज, रीवा, मध्य प्रदेश।
दृष्टि सिंह
पूर्व छात्रा, समाजशास्त्र, A.P.S.U. Rewa, M.P.

Article Info
Volume 5, Issue 6
Page Number : 01-13

Publication Issue :
November-December-2022

Article History
Accepted : 01 Nov 2022
Published : 06 Nov 2022

शोधसारांश– आपदा प्रबंधन के दो महत्वपूर्ण आंतरिक पहलू हैं। वह हैं पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती आपदा प्रबंधन। पूर्ववर्ती आपदा प्रबंधन को जोखिम प्रबंधन के रूप में जाना जाता है, आपदा के खतरे जोखिम एवं शीघ्र चपेट में आनेवाली स्थितियों के मेल से उत्पन्न होते हैं, यह कारक समय और भौगोलिक दृश्य से बदलते रहते हैं, जोखिम प्रबंधन के तीन घटक होते हैं, इसमें खतरे की पहचान, खतरा कम करना और उत्तरवर्ती आपदा प्रबंधन शामिल है। आपदा प्रबंधन का पहला चरण है खतरों की पहचान इस अवस्था पर प्रकृति की जानकारी तथा किसी विशिष्ट अवस्थल की विशेषताओं से संबंधित खतरे की सीमा को जानना शामिल है, साथ ही इसमें जोखिम के आंकलन से प्राप्त विशिष्ट भौतिक खतरों की प्रकृति की सूचना भी समाविष्ट है। इसके अतिरिक्त बढ़ती आबादी के प्रभाव क्षेत्र
एवं ऐसे खतरों से जुड़े माहौल से संबंधित सूचना और डाटा भी आपदा प्रबंधन का अंग है, इसमें ऐसे
निर्णय लिए जा सकते हैं कि निरंतर चलनेवाली परियोजनाएं कैसे तैयार की जानी हैं और कहां पर
धन का निवेश किया जाना उचित होगा, जिससे दुर्दम्य आपदाओं का सामना किया जा सके। इस प्रकार जोखिम प्रबंधन तथा आपदा के लिए नियुक्त व्यावसायिक मिलकर जोखिम भरे क्षेत्रों के अनुमान से संबंधित कार्य करते हैं।

मुख्य शब्द– संकट, आर्थिक, व्यवहारिक व सामाजिक।

अध्ययन का अवधारणात्मक स्वरूप– आपदा प्रबंधकों को ऐसे प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य जीवन बहाल करने का कार्य करना पड़ता है। आपदा प्रबंधन व्यावसायिक समन्वयक के रूप में कार्य करता है, यह सुनिश्चित करता है कि समस्त आवश्यक सहायक साधन और सुविधाएं सही समय पर आपदाग्रस्त क्षेत्र में उपलब्ध हैं, जिससे कम से कम नुकसान होता है।

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

यह प्रबंधक ऐसे विशेषज्ञ लोगों के समूह का मुखिया होता है, जिनकी सेवाएं आपदा के समय अनिवार्य होती हैं, जैसे–डॉक्टर, नर्स, सिविल इंजीनियर, दूरसंचार विशेषज्ञ, वास्तुशिल्प, इलेक्ट्रीशियन इत्यादि।

आपदा प्रबंधन की सबसे बड़ी चुनौती आपदाग्रस्त सीमा–क्षेत्र और होनेवाली क्षति का आंकलन करना है, इससे इस क्षेत्र का कार्य अत्यधिक वैज्ञानिक प्रक्रिया का रूप ले लेता है। आपदाग्रस्त क्षेत्रों की भौगोलिक एवं आर्थिक स्थितियों के कारण चुनौती और भी बढ़ जाती है।

आपदा अधिकार–क्षेत्र की तमाम सीमाएं लांघ सकती है। विपत्ति के समय अनजान कार्यों की जिम्मेदारी उठाने की आवश्यकता भी उत्पन्न होती है, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए विशेष कर्मियों की जरूरत होती है, इससे यह कार्य और अधिक कठिन हो जाता है।

प्राकृतिक या मानव जनित तीव्र या कमबद्ध घटना जिसका प्रभाव इतना तीक्ष्ण हो कि प्रभावित समाज को प्रतिवादन हेतु असाधारण कार्यवाही करनी पड़े, आपदा से तात्पर्य है कि किसी
क्षेत्र में प्राकृतिक एवं मानव निर्मित कारणों से अथवा दुर्घटनावस अथवा लापरवाही के कारण उत्पन्न

ऐसी आपदा या प्रकोप जिसके परिणामस्वरूप व्यापक स्तर पर जान माल की हानि तथा क्षति होती है एवं पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पडता है तथा प्रभावित क्षेत्र के समुदाय इसके व्यापक प्रभाव को सहने में सक्षम नही है।

सामान्यतः ऐसी घटना जिससे व्यापक स्तर पर जान–माल की हानि सम्पत्ति का नुकसान होता है एवं जिसका प्रबंधन सामान्य सरकारी संगठन एवं अधोसंरचना से संभव नही है, तथा स्थिति से निपटने हेतु तत्काल अनेको सरकारी, गैरसरकारी संस्थाओं स्वयंसेवी संगठनों एवं निजी संगठनों का समन्वयन आवश्यक हों।

एक व्यवहारिक वैज्ञानिक विधा जो आपदाओं के कमबद्ध निरीक्षण एवं विश्लेषण के आधार पर आपदाओं की रोकथाम, न्यूनीकरण, तैयारी आपातकालीन प्रतिवेदन एवं पुनः प्राप्ति के लिये कार्य करती है। आपदा की परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में यह ध्यान रखा गया है कि आपदा प्रबंधन एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें संसाधन नेतृत्व एवं नियंत्रण से सम्बन्धित मूलभूत विधाओं का समायोजन है। यह रोकथाम, न्यूनीकरण, तैयारी, प्रतिवादन एवं पुनः प्राप्ति के क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं के मध्य समन्वय करता है।

- **रोकथाम** :– इसके अन्तर्गत किये जाने वाले विभिन्न कार्यो का उद्देश्य टापदाकारी घटना के

घटित होने में अवरोध उत्पन्न करना या और फिर इस घटना से समाज या प्रमुख प्रतिष्ठानों पर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव की संभावना को खत्म करना है निम्नलिखित को प्रायः रोकथाम के उपायों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

- बाढ़ के पानी को नियंत्रित करने हेतु बॉध या तटबंधों का निर्माण ताकि लोगों संरचनाओं एवं अन्य प्रतिष्ठानों, पशुधन, जीवन –यापन वा उत्पादन वंत्र और अन्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पडें।

- अग्नि के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में अति जोखिम वाली ऋतु के पहले नियंत्रित आग लगाना । यह किया संभावित ईधन को समाप्त कर आग लगने की घटना की संभावना खत्म कर सकती है य फिर आग लगने की स्थिति में उसे खतरनाक स्थिति में पहुचने से रोक सकती है।

- कुछ अध्यादेंशो/नियमों को भी रोकथाम के रूप में देखा जा सकता है जैसे कि भू–उपयोग नियम जो यह सुनिश्चित करें कि आपदाओं क प्रति संवेदनशील नदी के किनारे के निचले क्षेत्रों में।

न्यूनीकरण :– इसके अन्तर्गत होने वाले कार्यो का क्रियान्वयन प्रायः विशिष्ट कार्यक्रमों

(जिनका उद्देश्य या समाज या राष्ट्र पर आपदाओं के प्रभावय का कम करना होता है) के

रूप में होता है। सामान्य भाब्दावली के अनुसार न्यूनीकरण का तात्पर्य यह है कि आपदाओं के कुछ प्रभावों को रोक पाना सम्भव हो सकता है, परन्तु अन्य प्रभाव अस्तित्व में रहेंगे लेकिन अपयुक्त प्रयासों द्वारा इन्हे कम किया जा जाना सम्भव है।

उपरोक्त बिन्दु यह इंगित करता है कि कुछ परिस्थितियों में कुछ देशो के लिए न्यूनीकरण

एवं रोकथाम को दो अलग–अलग अवधारणाओं एवं क्रियाओं के रूप में परिभाषित किये जाने की अपेक्षा न्यूनीकरण/रोकथाम की एकीकृत परिभाषा के अन्तर्गत रखा जाना अधिक उपयुक्त हो सकता है निम्नलिखित कार्यक्रमों एवं क्रियाओं को सामान्य न्यूनीकरण के अन्तर्गत रखा जा सकता है।

- भवन निर्माण नियमों का अनुपालन।
- भू–उपयोग नियम।
- ब्हुमंजिला इमारतों, खतरनाक वस्तुओं को नियंत्रित करने हेतु अध्यादेश।
- जल, थल एवं वायुयात को नियंत्रित करने वाले सुरक्षा नियम।
- फसल पर आपदाओं का प्रभाव कम करने हेतु बने कृषि कार्यक्रम ।
- मुख्य एवं प्रमुख प्रतिष्ठानों जैसे कि विद्युत उत्पादन संयंत्रो एवं संचार तंत्र की सुरक्षा की व्यवस्था।
- अवसंरचनाओं का विकास जैसे नये राजमार्गो को अपदा संवेदनशील क्षेत्रों से दूर स्थापित करना।

पूर्व तैयारी :– पूर्वतैयारी के अन्तर्गत साधारणतः वह सभी उपाय आते है जो सरकार, संस्थाओं , समाजों व व्यक्तियों को आपदा की स्थिति में त्वरित एवं प्रभावी प्रतिवादन के लिये सक्षम बनाते है। पूर्व तैयारी के उदाहरण निम्नवत है।

- आवश्सकतानुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु नवीनीकरण व उच्चीकृत आपदा प्रबंधन योजनाओं का विकास एवं अनुरक्षण।
- आपातकालीन कियाओं हेतु विशेष व्यवस्था जैसे कि आवादी की निकासी एवं स्थानान्तरण।
- चेतावनी तंत्र का व्यस्थापन।
- जनशिक्षा, जनजागरूकता।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमः व अभ्यास सहित।

व्यक्तिगत या/एवं पारिवरिक पूर्व तैयारी एक ऐसा आयाम है जिसे पूर्व तैयारी के अन्तर्गत अपेक्षित प्राथमिकता नही मिल पाती है। सरकारी संसाधन एवं आपातकालीन संवाओं के सीमित होने की परिस्थितिओं में इस प्रकार की व्यक्तिगत एवं पारिवारिक तैयारी जीवन रक्षा के लिये महत्वपूर्व सिद्ध हो सकती है। कई बार आपदा प्रबंधन चक्र में पूर्वतैयारी को निम्न प्रकार विभाजित कर दिया जाता है।

1ण जन शिक्षा व जनजागरूकता।
2ण प्रशिक्षण कार्यक्रमः मूल्यांकन व अभ्यास सहित।

व्यक्तिगत या/एवं परिवारिक पूर्व तैयारी एक ऐसा आयाम है जिसे पूर्व तैयारीया के अन्तर्गत अपेक्षित प्राथमिक नही मिल पाती है। सरकारी संसाधन एवं पारिवरिक तैयारी जीवन रक्षा के लिये महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। कई बार आपदा प्रबन्धक चक्र में पूर्व तैयारी को निम्न प्रकार विभाजित कर दिया जाता है।

- चेतावनी :– आपदा के क्षेत्र विशिष्ट में घटित होने एवं उसके खतरे को चिन्हित करने के मध्य की अवधि (जैसे कि चक्रवात उत्पन्न हो चुका है परन्तु अभी तट से दूर है)
- खतरा :– वह समय जबकि आपदा को चिन्हित कर लिया गया है और यह आंकलन कर लिया गया है कि यह उक्त क्षेत्र विशेष को प्रभावित करने वाला है (जैसे चक्रवात उक्त क्षेत्र की ओर अग्रसर है।)
- सवधानी :– चेतावनी मिलने के पश्चात् प्रभावों संज्ञान करने की दृष्टि से किये जाने वाले कार्य। इस प्रकार के कार्यो के अन्तर्गत निम्न आ सकता है।

स्कूल कार्यालय बन्द करना।
आपातकालीन विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करना।
वर्षा एवं तेज हवाओं से बचाव हेतु फसल को काट लेना।
परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करना।
घरेलू सावधानियों जैसे पीने के पानी का भंडारण।

इस प्रकार से पूर्व तैयारी का उपभागों में विभक्त करने से आपदा घटित होने से पूर्व किये जाने वाले कार्यो का क्रम निर्धारित करने में सहायता मिलती है।
अध्ययन का उद्देश्य– निम्नांकित उद्देश्यों को जानने के लिये हमने इस अध्ययन को चुना है–

1. विद्यार्थियों तथा स्वंय सेवी व्यक्तियों को आपदा के समय मदद के लिए प्रशिक्षण देकर उन्हें तैयार करना।
2. आपदा के बारे में समाज के लोगों को जागरूक करना।
3. आपदा से सम्बंधित सभी खतरों सभी चरणों सभी हितधारकों और सब प्रभावों पर विचार करते है और ध्यान रखते हैं
4. शिक्षा प्रशिक्षण अनुभव नैतिक आचरण सर्वजनिक ज्ञान आधारित उपाय।
5. आपदा के समय लोगों की आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फसे लोगों की मदद ज्यादा से ज्यादा करना।
6. पुर्नावरण करना, आपदा पूर्व तैयारी करना आपदा से बचने के लिए।

पूर्व अध्ययनः एक दृष्टि– निर्मल कुमार आनन्द, (2009) ने अपने अध्ययन में पाया गया कि पंचायती राज की स्थापना के बाद आपदा प्रबंधन के कार्य सुचारू को शीघ्र सुविधाएँ पहुँचाई जा रही है। अब ग्रामीण स्तर पर आपदा से निपटने के लिए पंचायतों को एक सशक्त माध्यम के तौर पर प्रयुक्त किया जा रहा है।
आपदा प्रबंधन को लेकर किये जाने वाले अध्ययन कुछ हद तक देखने को मिले है अतः इस सन्दर्भ में शोधार्थी द्वारा शोध किया जा रहा है कि जिससे यह पता चल सके कि इस सन्दर्भ में व्यवस्थित ढंग से आपदा प्रबंधन किस प्रकार अपनी भूमिका निभा रहा है तथा आपदा प्रबंधन विषय के बारे में लोगों में कितनी जागरूकता है। वर्तमान में आपदा के बारे में सभी देश तथा राज्यों में इसका प्रचार प्रसाद तथा प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

शोध क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण– भारत की जनगणना के अन्तिम आकड़ों के अनुसार रीवा नगर की जनसंख्या 2,35,422 है, और यह नगर 102 कि.मी. में फैला है तथा 45 वार्डों में विभक्त हैं। रीवा में 87.43 प्रतिशत अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म बहुसंख्यक धर्म है। रीवा नगर में इस्लाम दूसरा सबसे लोकप्रिय धर्म है, जो लगभग 11.65 प्रतिशत हैं। रीवा नगर में क्रिश्चन 0.23 प्रतिशत, जैन धर्म 0.22 प्रतिशत, सिख धर्म 0. 23 प्रतिशत और बौद्ध धर्म में 0.23 प्रतिशत है। करीब 0.01 प्रतिशत अन्य धर्म, लगभग 0.17 प्रतिशत कोई विशेष धर्म हैं। रीवा नगर की साक्षरता 86.31 प्रतिशत है। इस विषय के अध्ययन के लिए रीवा नगर के आपदा प्रबंधन में होमगार्ड एवं स्वयं सेवकों का चयन किया गया है।

अध्ययन पद्धति एव उपकरण– प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों पर आधारित है। प्राथमिक समंकों के संकलन के लिए समग्र में से सविचार निदर्शन विधि द्वारा 100 होमगार्ड एवं स्वयं सेवकों को सूचनादाताओं के

रूप में अध्ययन के लिए चयन किया गया है, अध्ययन में साक्षात्कार–अनुसूची, अवलोकन, एवं व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया गया है। संकलित सूचनाओं के द्वारा प्राप्त सामग्री से सम्बंधित तथ्यों को वर्गीकरण, सारणीयन तथा विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाला गया है।

प्रस्तुत शोध में आवश्यकतानुसार 'आपदा प्रबंधन में होमगार्ड एवं स्वयं सेवकों' से सम्बंधित सूचनाएं संकलित की गई। द्वितीयक तथ्यों की प्राप्ति हेतु पत्र–पत्रिकाओं, लेखों का अध्ययन तथा इंटरनेट का भी प्रयोग किया गया है।

तथ्यों का विश्लेषण– प्रस्तुत शोध में तथ्यों के संकलन के पश्चात् प्राप्त तथ्यों को समानता एवं भिन्नता के आधार पर वर्गीकृत, सारणीयन कर कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों का विश्लेषण किया गया है।
तालिका –1. क्या आपदा प्रबंधन के कार्यो में होमगार्ड की भूमिका सराहनीय हैं?

प्रतिक्रिया	f	प्रतिशत	संचयी प्रतिशत	मध्यमान
पूर्णतः सहमत	15	30	30	
सहमत	18	36	66	
अनिश्चित	05	10	76	
असहमत	07	14	90	
पूर्णतः असहमत	05	10	100	3.62
कुल	50	100.0		

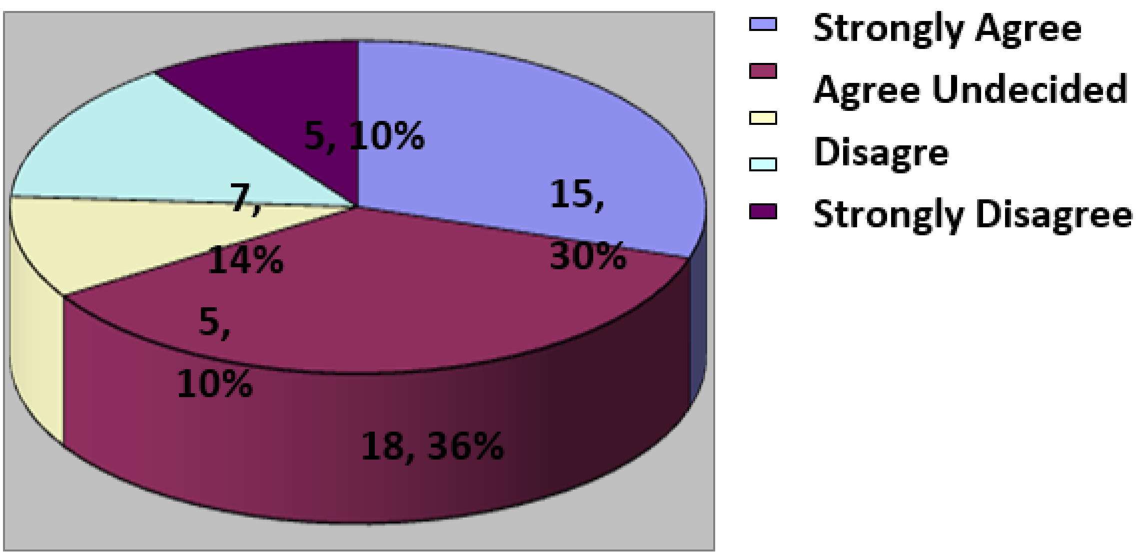

तालिका –1. मे लोगो से पूछा गया कि आपदा प्रबंधन के कार्यो में होमगार्ड की भूमिका सराहनीय हैं, तो जहॉ 30 प्रतिशत लोगो ने पूर्णसहमती व्यक्त कि हैं जबकि 36 प्रतिशत लोगो ने सहमत, 10 प्रतिशत ने अनिश्चित, 14 प्रतिशत लोगो ने असहमत तथा 10 प्रतिशत लोगो ने पूर्ण असहमती व्यक्त की हैं।

तालिका –2. क्या होमगार्ड अपने कार्यो को तनमयता से पूर्ण करता हैं?

प्रतिक्रिया	f	प्रतिशत	संचयी प्रतिशत	मध्यमान
पूर्णतः सहमत	35	70	70	
सहमत	09	18	88	
अनिश्चित	02	04	92	4.46
असहमत	02	04	96	
पूर्णतः असहमत	02	04	100	
कुल	50	100.0		

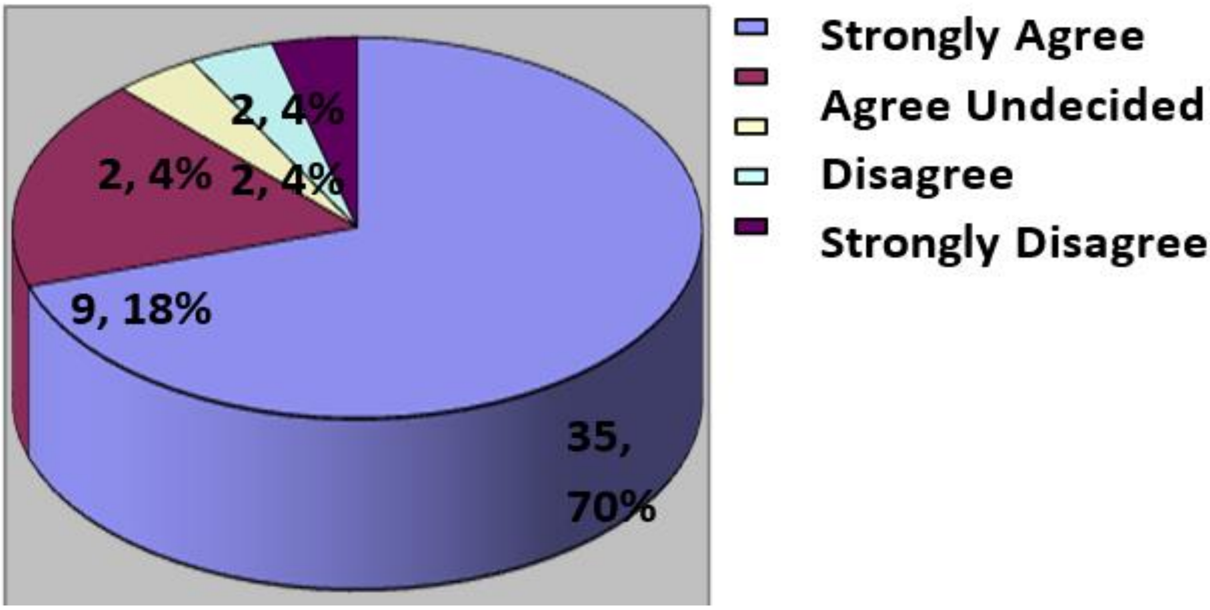

तालिका – 2 मे लोगो से पूछा गया कि होमगार्ड अपने कार्यो को तनमयता से पूर्ण कारता हैं, तो जहॉ 70 प्रतिशत लोगो ने पूर्णसहमती व्यक्त कि हैं जबकि 18 प्रतिशत लोगो ने सहमत, 04 प्रतिशत ने अनिश्चित, 04 प्रतिशत लोगो ने असहमत तथा 04 प्रतिशत लोगो ने पूर्ण असहमती पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की हैं।

तालिका –3. क्या होमगार्ड के प्रति आपदा से प्रभावित ग्रामीण व्यक्तियों का दृष्टिकोण अच्छा हैं?

प्रतिक्रिया	f	प्रतिशत	संचयी प्रतिशत	मध्यमान
पूर्णतः सहमत	25	50	50	
सहमत	15	30	80	
अनिश्चित	05	10	90	4.14
असहमत	02	04	94	
पूर्णतः असहमत	03	06	100	
कुल	50	100.0		

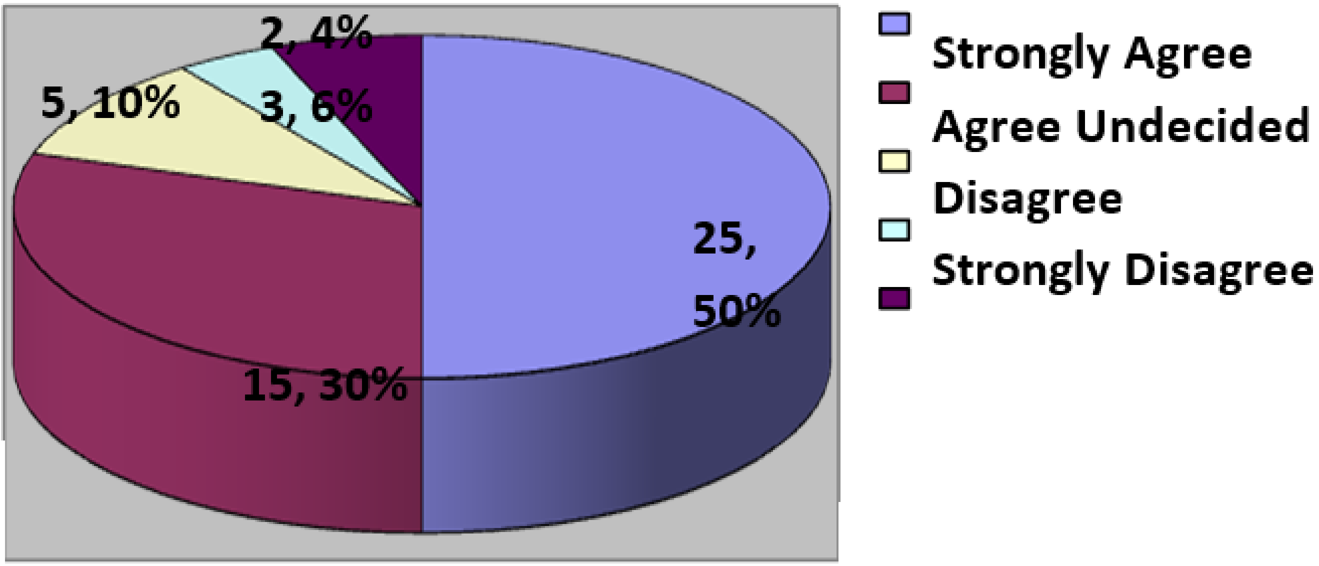

तालिका – 3 मे लोगो से पूछा गया कि होमगार्ड के प्रति आपदा से प्रभावित ग्रामीण व्यक्तियो का दृष्टिकोण अच्छा हैं, तो जहॉ 50 प्रतिशत लोगो ने पूर्णसहमती व्यक्त कि हैं जबकि 30 प्रतिशत लोगो ने सहमत, 10 प्रतिशत ने अनिश्चित, 04 प्रतिशत लोगो ने असहमत तथा 06 प्रतिशत लोगो ने पूर्ण असहमती पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की हैं।

तालिका – 4. क्या होमगार्ड का कार्य जोखिम भरा होता हैं?

प्रतिक्रिया	f	प्रतिशत	संचयी प्रतिशत	मध्यमान
पर्णतः सहमत	25	50	50	
सहमत	15	30	80	
अनिश्चित	02	04	84	4.04
असहमत	03	06	90	
पूर्णतः असहमत	05	10	100	
कुल	50	100.0		

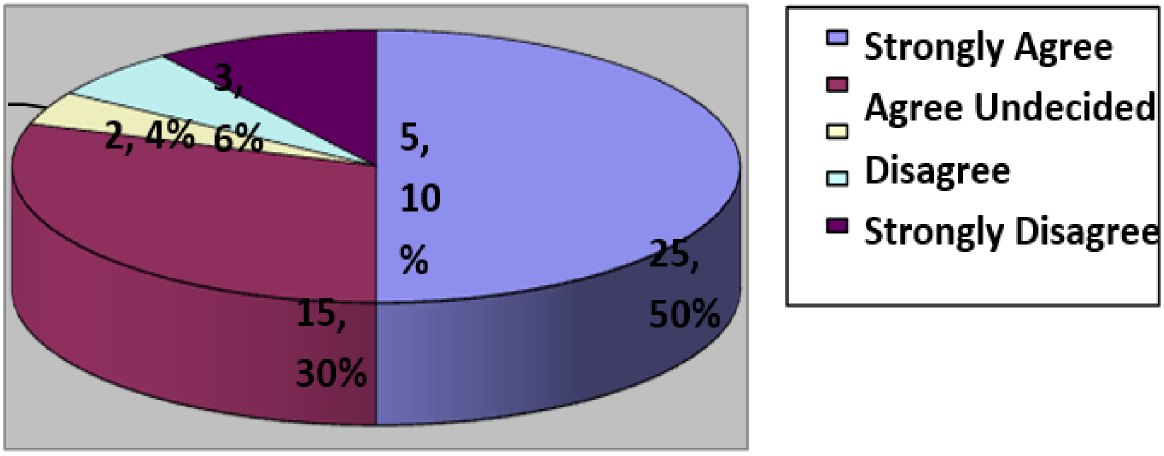

तालिका – 4 में लोगो से पूछा गया कि होमगार्ड का कार्य जोखिम भरा होता हैं, तो जहॉ 50 प्रतिशत लोगो ने पूर्णसहमती व्यक्त कि हैं जबकि 30 प्रतिशत लोगो ने सहमत, 04 प्रतिशत ने अनिश्चित, 06 प्रतिशत लोगो ने असहमत तथा 10 प्रतिशत लोगो ने पूर्ण असहमती अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की हैं।

तालिका –5. क्या औद्योगिक दुर्घटना जनसमुदाय को जागरूक करने में सक्षम हैं?

प्रतिक्रिया	f	प्रतिशत	संचयी प्रतिशत	मध्यमान
पूर्णत: सहमत	33	66	66	
सहमत	13	26	92	
अनिश्चित	01	02	94	4.5
असहमत	02	04	98	
पूर्णत: असहमत	01	02	100	
कुल	50	100.		

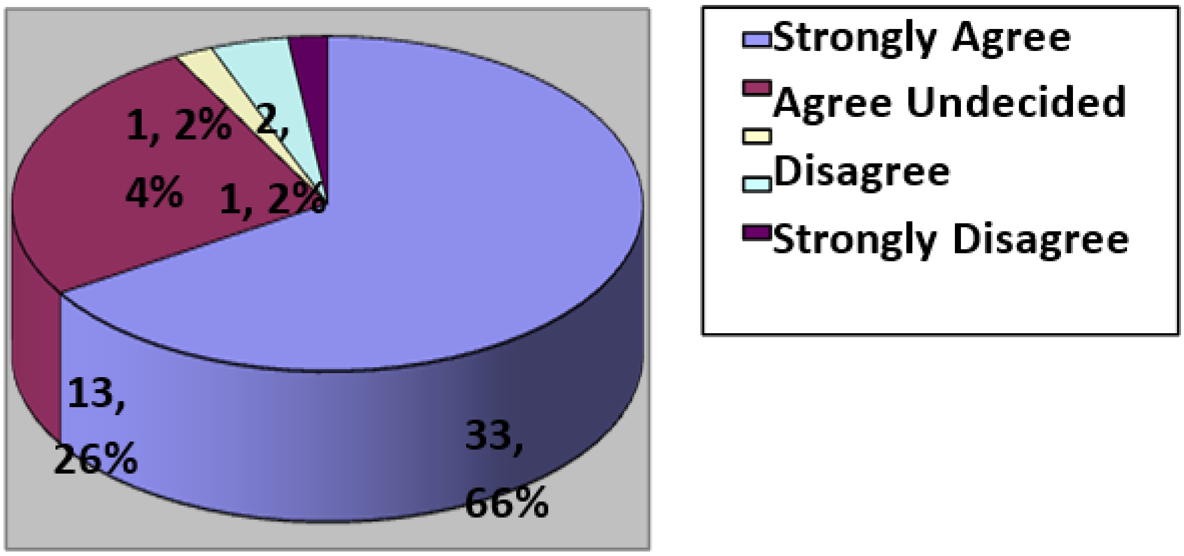

तालिका – 5 में लोगो से पूछा गया कि औद्योगिक दुर्घटना जनसमुदाय को जागरूक करने में सक्षम हैं, तो जहॉं 66 प्रतिशत लोगो ने पूर्णसहमती व्यक्त कि हैं जबकि 26 प्रतिशत लोगो ने सहमत, 02 प्रतिशत ने अनिश्चित, 04 प्रतिशत लोगो ने असहमत तथा 02 प्रतिशत लोगो ने पूर्ण असहमती पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव– शोध अध्ययन में यह पाया कि सूखा, बाढ़, चक्रवाती तूफानों, भूकम्प, भूस्खलन, वनों में लगनेवाली आग, ओलावृष्टि, टिड्डी दल और ज्वालामुखी फटने जैसी विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है, न ही इन्हें रोका जा सकता है लेकिन इनके प्रभाव को एक सीमा तक जरूर कम किया जा सकता है, जिससे कि जान–माल का कम से कम नुकसान हो। यह कार्य तभी किया जा सकता है, जब सक्षम रूप से आपदा प्रबंधन का सहयोग मिले। प्रत्येक वर्ष प्राकृ तिक आपदाओं से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों में भारत का दसवां स्थान है।

भारत में आपदा प्रबंधन का कार्य परम्परागत रूप से राज्य सरकार, सामाजिक संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों तथा अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा केंद्र सरकार के सहयोग से किया जाता रहा है। आपदा प्रबंधन की दिशा में ठोस एवं व्यापक नीति एवं कानून बनाने के प्रयास 21वीं सदी से ही शुरू होने लगे हैं।

बाढ़, भूकंप, समुद्री तूफान, आदि को आने से नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि वे उस प्राकृ तिक पर्यावरण का हिस्सा हैं जिसमें हम रहते हैं, लेकिन हम यह कर सकते हैं की लोगों और उनकी संपत्ति के लिए जहां तक संभव हो सके इन प्राकृतिक आपदाओं के असर को हानिरहित बनाने के लिए समाज के विभिन्न स्तरों पर एहतियाती उपाय करें। खतरे अपरिहार्य हो सकते हैं, लेकिन आपदाओं को रोका जा सकता है।

सरकार ने आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है। राहत–केन्द्रित ददृष्टिकोंण के स्थान पर समग्र दृ ष्टिकोंण अपनाया गया है जिसमें आपदा प्रबंधन के समस्त पहलुओं को आच्छादित करते हुए रोकथाम, न्यूनीकरण, तैयारी, कार्यवाही रहत और पुनर्वास को सम्मिलित किया गया है। नवीन दृष्टिकोंण इस विश्वास से निकलकर आया है कि प्रक्रिया में आपदा के न्यूनीकरण के लिए प्रबंध न किए जाएं। इस ददृष्टिकोंण की अन्य प्रमुख बात यह भी है कि आपदा न्यूनीकरण के लिए विकास के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए एक बहु–विषयक प्रक्रिया तैयार करनी होगी। अभिमुखीकरण में परिवर्तन के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संरचना (एनडीएमएफ) तैयार की गई है और इसे राज्यध्संघ शासित क्षेत्र सरकारों के साथ बांटा गया है ताकि वे अपनी–अपनी योजनाओं को राष्ट्रीय योजना के व्यापक दिशा–निर्देशों के अनुसार संशोधित और अद्यतन कर सकें। राष्ट्रीय
योजना में संस्थागततंत्रों, न्यूनीकरण, रोकथाम उपायों, विधि एवं नीति संरचना, तैयारी और कार्यवाही पूर्व चेतावनी प्रणाली, मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण को शामिल किया गया है।

सुझाव– देश में आपदाओं का मुकाबला करने, उनमें कमी लाने तथा पीड़ित व्यक्तियों का पुनर्वास करने के लिए वंचित संस्थात्मक तंत्र तैयार करने के लिए आपदा प्रबंधन विधेयक की 28 नवम्बर,
2005 को राज्य सभा तथा 12 दिसम्बर, 2005 को लोकसभा से स्वीकृति मिली। 23 दिसम्बर, 2005
से यह कानून प्रवर्तित हो गया। इस अधिनियम में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय प्रबंधन प्राधिकरण, मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा जिला न्यायाधीशों की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने का प्रावधान है। इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना के अनुसार सम्बंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा विभागवार योजनाएं तैयार करने का भी प्रावधान है। इसमें आपातकालीन कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही बल तथा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के गठन की भी व्यवस्था है। अधिनियम में राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही निधि तथा राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि और राज्य तथा जिला स्तरों पर इसी तरह की निधियों के गठन का

भी प्रावधान शामिल है। इसमें पंचायती राज संस्थानों और नगरपालिकाओं जैसे शहरी स्थानीय निकायों सहित स्थानीय निकायों की विशिष्ट भूमिका निर्धारित की गई है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण– कानून का अधिनियम होने तक सरकार ने 30 मई, 2005 को प्रधानमंत्री को अध्यक्ष के रूप में लेकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) का गठन किया। आपदा प्रबंधन अधिनियम,

2005 लागू होने के बाद अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप 27 सितंबर, 2006 को एनडीएमए का गठन किया गया जिसमें 9 सदस्य हैं जिनमें से एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में पदनामित किया गया है। प्राधिकरण को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में यथापरिकल्पित कार्य सौंपे गए हैं–

- आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं तथा दिशा–निर्देश निर्धारित करना।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना तथा भारत सरकार के मंत्रालयोंधविभागों द्वारा तैयार योजनाओं का अनुमोदन करना।
- राज्य योजना निर्मित करने के लिए राज्य प्राधिकरणों के लिए दिशा–निर्देश निर्धारित करना।
- आपदाओं की रोकथाम अथवा उनकी विकास योजनाओं तथा परियोजनाओं में इसके प्रभावों को कम–से–कम करने के उद्देश्य से उपायों सरकार के मंत्रालयोंधविभागों द्वारा पालन किए जाने के लिए दिशा–निर्देश निर्धारित करना।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कार्यकरण हेतु स्थूल नीतियों एवं दिशा–निर्देश का निर्धारण करना।
- प्रशमन के उद्देश्य से निधियों के प्रावधान की अनुशंसा करना।
- आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों और योजनाओं के प्रवर्तन और कार्यान्वयन का समन्वय
- करना।
- बड़ी आपदाओं से प्रभावित दूसरे देशों को वैसी सहायता प्रदान करना जैसी केंद्र सरकार
- द्वारा निर्धारित की जाए।
- न्यूनीकरण के प्रयोजनार्थ निधियों के प्रावधान की सिफारिश करने तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संसथान की कार्यप्रणाली के लिए व्यापक नीतियां और दिशा–निर्देश निर्धारित करना।
- उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष को धारा–6(3) के अंतर्गत यह

शक्ति दी गई है कि आपातकाल की स्थिति में वह उपर्युक्त सभी या कुछ कार्य स्वयं निर्धारित कर सकेगा किंतु उनका प्राधिकरण द्वारा कार्योत्तर अनुसमर्थन अनिवार्य होगा।

सन्दर्भ सूची–

1. आपदा प्रबन्धन संस्थान, (2015) ई–5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)
2. निर्मल कुमार आनन्द (2009), 'आपदा प्रबंधन की नई भूमिका में पंचायत', कुरूक्षेत्र, 1ण अगस्त
3. शुक्ला एस.एम. सहाय एस.पी. (2005) साख्यिकी के सिद्धान्त साहित्य भवन पब्लिकेशन

2ण आगरा।

4- B. Wisner, P. Blaikie, T. Cannon, and I. Davis (2004). At Risk - Natural hazards, people's vulnerability and disasters. Wiltshire: Routledge.

5- G. Bankoff, G. Frerks, D. Hilhorst (eds.) (2003). Mapping Vulnerability: Disasters, Development and People.

6. गुप्ता एम.एल. शर्मा, डी.डी. (1998) समाजशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा।

7. राय पारसनाथ (1973) अनुसंधान परिचय लक्ष्मीनारायण अग्रवाल आगरा।

8- www.vivacepanorama.com

9- www.googl.com